नव निगमित फर्मों द्वारा राजनीतिक अंशदान

स्रोत: द हिंदू

तीन वर्ष से कम पुरानी कंपनियों को राजनीतिक अंशदान (Political Contribution) देने से रोकने वाले नियमों के बावजूद , हालिया आँकड़ों से भारत में नव निगमित कंपनियों द्वारा **चुनावी बॉण्ड** की चौंकाने वाली खरीद का पता चलता है।

- **कंपनी अधिनियम, 2013** तीन वर्ष या उससे कम अवधि के अंतर्गत पंजीकृत हुई कंपनियों को राजनीतिक अंशदान देने से रोकता है, जिसका उद्देश्य **शेल कंपनियों** को राजनीतिक दलों में अंशदान देने से रोकना है।
  - 2017 के संशोधन ने योगदान पर लगी सीमा को हटा दिया लेकिन **तीन वर्ष के निषेध** को बरकरार रखा।
- **कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182** में उल्लंघन के लिये दंड की रूपरेखा दी गई है, जिसमें अधिकारियों के लिये जुर्माना और कारावास शामिल है।

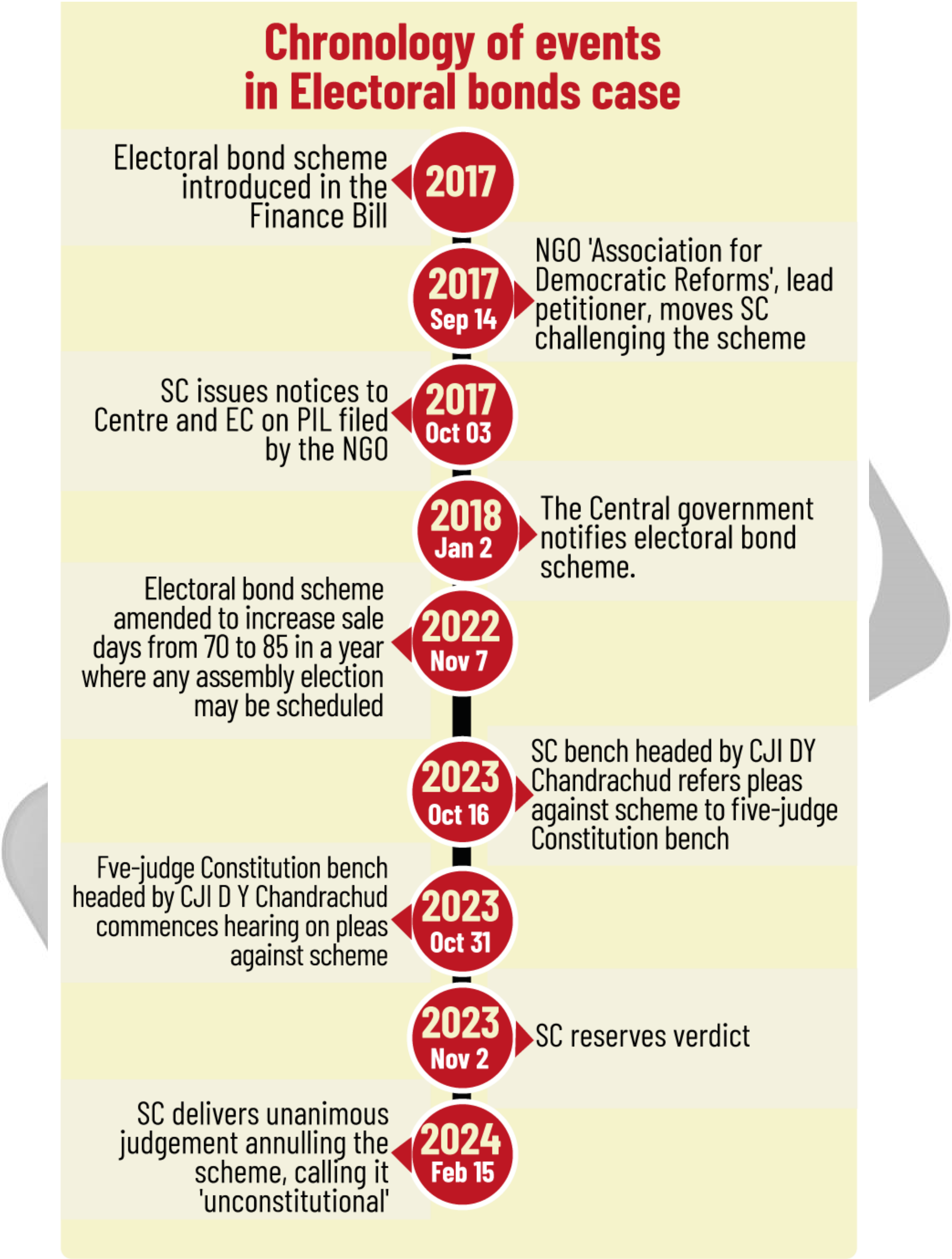

और पढ़ें... [SC ने चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/political-contribution-by-newly-incorporated-firms